



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GN 847386

(प्रारूप- "अ")

503

2023-24 में नवस्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थानों की सोसाइटी/ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी शपथ-पत्र का प्रारूप

हैम आनन्द प्रवला सिंह पाठव एवं श्री अशोक यादव जगन्नाथ अग्रवाल एवं सचिव श्री प्रेमा देवी जैन द्वारा भारत विद्यदासीचक्र, बासूचक्र, गाजीपुर शास्यपूर्वक गिम्नसिय बयान करते हैं-

1. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा श्री हेम आनन्द प्रवला सिंह अशोक यादव जगन्नाथ अग्रवाल एवं सचिव श्री प्रेमा देवी जैन द्वारा भारत विद्यदासीचक्र, बासूचक्र, गाजीपुर शास्यपूर्वक गिम्नसिय इन फार्मसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 में किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम सोन + पोस्ट- बासूचक्र जिला- गाजीपुर में गाटा संख्या 821, 700, 826, 844, रकबा जगन्नाथ 0.8850 हेक्टेयर (कुल रकबा 0.8850 हेक्टेयर) भूमि है।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का-बोर्ड की याद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।
4. यह कि उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपरोक्त भूमि के गाटा संख्या 821, 700, 826, 844, रकबा जगन्नाथ 0.8850 हेक्टेयर (कुल रकबा 0.8850 हेक्टेयर) पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक 04/03/2021 द्वारा परित किया गया है।



उपरोक्त भूमि पर ही प्रस्तावित डिप्लोमा फार्मसी संस्थान की संघालन हेतु बचनों का निर्माण अनुसूचित नक्शों के अनुसार किया गया है।

Handwritten signatures and initials are present at the bottom right of the document.

6. यह कि निर्दिष्ट समिति के समक्ष उपरोक्त धरो पर सोसाइटी/ट्रस्ट की नए भूमि एवं इस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निर्दिष्ट समिति के समक्ष निवेशित हेतु प्रस्तुत किया गया है।
7. यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर कार्मही कार्यालय जौन इण्डिया, नई दिल्ली को निर्देशों के अंतर्गत ही डिप्लोमा कार्मही संस्थान का ही संचालन किया जाएगा।
8. यह कि इस संस्था में कार्मही कार्यालय जौन इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राथमिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश समझौते के अनुसार ही पाठ्यक्रम में परिवर्तन प्रदान किया जाएगा।
9. यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में कार्मही कार्यालय जौन इण्डिया, नई दिल्ली के अनुमोदित एवं प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० सरकार से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्था/विद्यालय/महाविद्यालय/आई०टी०आई० आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जाएगा।
10. यह कि संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक कक्षा कम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यालयों आदि को कार्मही कार्यालय जौन इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राथमिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जाएगा।
11. यह कि संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जाएगा।
12. यह कि शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का बलीभाति पालन करेगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थानीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।
13. मैं घोषणा करता/करती हू कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटस्थित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं जालरदायी होंगा।

[Signature]
85 मिनट

[Signature]

[Signature]
85 मिनट

